फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट - कोतवाली फतेहगढ़

दिनांक :-25.08.2025

कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 206/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109/352/324(2) बी.एन.एस. से सम्बन्धित नामजद/वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर ऐश्वर्या उपाध्याय के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फतेहगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 206/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109/352/324(2) बी.एन.एस. से सम्बन्धित नामजद/वांछित अभियुक्त हनी तिवारी उर्फ हर्षित तिवारी पुत्र स्व0 अनुपम तिवारी निवासी बिजाधरपुर सेन्ट्रल जेल कोतवाली फतेहगढ जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1.हनी तिवारी उर्फ हर्षित तिवारी पुत्र स्व0 अनुपम तिवारी निवासी बिजाधरपुर सेन्ट्रल जेल कोतवाली फतेहगढ जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण:- दिनांक 12.08.2025 को वादी श्री सूर्यप्रताप सिंह पुत्र कौशलेन्द्र सिंह निवासी रुनी चुरसई थाना जहानगंज जनपद फतेहगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से फायर किया गया। वादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 13.08.2025 को मु0अ0सं0 206/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109/352/324(2) बी.एन.एस. बनाम हनी तिवारी आदि पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में अभियुक्त उर्फ हर्षित तिवारी उपरोक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त ने पूछताछ पर अपनी गलती की मांफी मांगते हुए अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया ।

अभियुक्त हनी तिवारी उर्फ हर्षित तिवारी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 754/2020 धारा 147/323/504/506 भादवि कोतवाली फर्रूखाबाद।
2. मु0अ0सं0 557/2021 धारा 323/506 भादवि थाना कोतवाली फर्रूखाबाद।
3. मु0अ0सं0 433/2023 धारा 147/323/504/506 भादवि कोतवाली फर्रूखाबाद ।
4. मु0अ0सं0 251/2020 धारा 323/504/506 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ ।
5. मु0अ0सं0 480/2023 धारा 504/506 भादवि कोतवाली फतेहगढ़ ।
6. मु0अ0सं0 348/2024 धारा 115(2)/191(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना कोतवाली फतेहगढ़।
7. मु0अ0सं0 187/2023 धारा 147/186/332/353/504/506 भादवि व 7 सीएल एक्ट थाना कादरीगेट।
8. मु0अ0सं0 206/2025 191(2)/191(3)/190/109/352/324(2) बीएनएस कोतवाली फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 महेश कुमार थाना फतेहगढ़
2.हे0का0 प्रमोद कुमार थाना फतेहगढ़
3.का0 छोटेलाल थाना फतेहगढ़

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट -थाना कमालगंज

दिनांक - 25.08.2025

थाना कमालगंज पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वाँछित अभियुक्त को आला कत्ल सहित किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री हरीश चन्दर के कुशल पर्यवेक्षण, पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ0 संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री संजय वर्मा के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पुलिस पर पंजीकृत मु0अ0सं0 272/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त सूरज कुमार पुत्र स्व0 परशुराम उर्फ परसराम निवासी कुतुबपुर बघार मौजा भूलनपुर चिरपुरा ,हुसैनगंज थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर अभियुक्त की निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त एक टकोरा बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

01. सूरज कुमार पुत्र स्व0 परशुराम उर्फ परसराम निवासी कुतुबपुर बघार मौजा भूलनपुर चिरपुरा हुसैनगंज थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़

घटना का विवरण:- दिनांक 21.08.2025 को वादी मुकदमा श्री रघुनन्दन सिंह पुत्र स्व0 रामसिंह निवासी उमराव नगला ग्राम सभा फतेहपुर थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ नें अभियुक्ततों द्वारा खाली खेतो में वादी के पुत्र संजेश को भैंसे चराने को लेकर हुए विवाद में टकोरा से जानलेवा हमला करना जिससे वादी के पुत्र की मौके पर ही मौत होने के सम्बन्ध में सूचना दी । सूचना पर तत्काल थाना कमालगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 272/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1) बीएनएस बनाम 01. सूरज राजपूत स्व0 परशुराम ग्राम हुसैनगंज थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ आदि 05 नफर पंजीकृत कर विवेचना के क्रम में अभियुक्त सूरज कुमार पुत्र स्व0 परशुराम उर्फ परसराम निवासी कुतुबपुर बघार मौजा भूलनपुर चिरपुरा हुसैनगंज थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर अभियुक्त की निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त एक टकोरा बरामद कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त सूरज कुमार से पूछताछ करने पर अभियुक्त नें अपने जुर्म की माफी मांगते हुए अपने बयान अपने वकील के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष देना बताया ।

बरामदगी का विवरण -

01. एक टकोरा (छोटी कुल्हाड़ी)

अभियुक्त सूरज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

01. मु0अ0सं0 272/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1) बीएनएस थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ ।

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली थाना कमालगंज पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार
2. उ0नि0 श्री उमेश तिवारी
3. आरक्षी सचिन
4. आरक्षी तेजवीर

मीडिया सेल फतेहगढ़ ।